गोवासिटी प्रोजेक्ट का विज्ञापन भ्रामक, रेरा ने दिया नोटिस

रेरा ने कहा– नहीं हुआ है पंजीकरण, एसएसपी और थाना प्रभारी को भी दी सूचना

राज्य ब्यूरो, पटना : भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने गुरुवार को पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 'गोवासिटी' नामक प्रोजेक्ट के विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए नोटिस जारी किया है। रेरा ने कहा कि स्वप्रेरित नोटिस देने का मकसद लोगों के हितों की रक्षा करना और उनको ठगी से बचाना है। जिस परियोजना का पंजीकरण ही नहीं हुआ है, उसका विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विज्ञापन में प्रोजेक्ट को रेरा से अनुमति प्राप्त होने का दावा किया था, जिसे रेरा ने खारिज कर दिया। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने कहा कि रेरा में किसी कंपनी को मान्यता देने का प्रावधान नहीं है। प्राधिकरण ऐसी परियोजनाओं का पंजीकरण करता है, जो सभी मापदंडों पर खरा हो। जहां तक गोवा सिटी परियोजना का प्रश्न है, तो प्राधिकरण ने इसका पंजीकरण आज तक नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को ठगने के लिए परियोजना के विज्ञापन में आवेदन संख्या डाल दी गई है। रेरा में सिर्फ आवेदन करने से पंजीकरण नहीं होता, उसकी बाकायदा पूरी जांच की जाती है।

बिना पंजीकरण नहीं दे सकते विज्ञापन

रेरा ने पटना के एसएसपी और प्रोजेक्ट के अंतर्गत पड़ने वाले रूपसपुर थाने के प्रभारी को भी इसकी सूचना भेज दी है, ताकि लोगों को ठगी से बचाया जा सके। जो भी परियोजनाएं रेरा में पंजीकृत है, उसकी पूरी सूचना रेरा के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भूमिपूजन में मंत्रियों के आने का किया था दावा

रेरा का कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के विज्ञापन में कई मंत्रियों और नेताओं के आने का दावा किया गया था। भूमि पूजन शनिवार को होने वाला था। पुलिस भी नोटिस मिलने के बाद जांच में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि लोगों के बीच अपने प्रोजेक्ट की पैठ बनाने के लिए कंपनी ने मंत्रियों व नेताओं के नाम का चालाकी से इस्तेमाल किया है।

Scanned with CamScanner